न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2014/00117 (40/2014) 225 आरटीएक्ट

1. सोहनलाल पुत्र जोतराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ।
2. सरबती पुत्री जोतराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. कुंभाराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. रूपराम पुत्र जोतराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. मोहनलाल
4. राजाराम

} पुत्रगण सहीराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ।

5. विमला पत्नी लिछमणराम पुत्री सहीराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ।
6. ईसर
7. कृष्ण

} पुत्रगण मंगलराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ।

8. केसर
9. सुमन

} पुत्रियां मंगलराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तहव व जिला

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.88 द्वारा सहायक जिलाधीश संगरिया प्रकरण संख्या 890/86 अन्तर्गत धारा 15 एएए आरटीएक्ट

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1/3
श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 10

निर्णय दिनांकः–28.02.2020

1. अपील अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट सोहनलाल व रेस्पो0 सं0 3 ता 5 के पूर्वज सहीराम व रेस्पो0 सं0 2 रूपराम ने दिनांक 13.04.71 को न्यायायल सहायक आयुक्त उपनिवेशन हनुमानगढ के समक्ष राज0 उप0 (रा0 0

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

यो0 1955 से पूर्व के अस्थाई कृषकों की राजकीय भूमि आवंटन शर्तें 1971 के अधीन 1955 से पूर्व के अस्थाई कृषकों की अस्थाई कृषि भूमि के आवंटन बबत शर्त सं0 5 (1) के तहत अपने धारण की भूमि चक 10 आरपी व 9 आरपी एवं 1 एल के की 106.10 बीघा कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि को स्थाई आवंटन करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर बाद जांच दिनांक 03.11.72 को उपनिवेशन आयुक्त व आवंटन अधिकारी हनुमानगढ ने लाधु, जोतराम, सहीराम पि0 रूड़ा के पक्ष में आवंटन आदेश पारित किये। राज्य सरकार द्वारा इ0गा0न00 परि0 क्षेत्र में स्थित 1955 से पूर्व की आराजी काश्त की भूमि बाबत राज0 काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 04.08.83 को किए गये संशोधन 15 एएए (3) आरटीए के तहत पूर्व पत्रावलियॉ जो आवंटन शर्तें 1971 के तहत निर्णित की जा चुकी थी को पुनः प्रारंभ करके भूमि बाबत जांच की गई व दिनांक 25.03.88 को रेस्पो0 सं0 1 व 6 ता 9 के पूर्वज लाधू वल्द मामराज को 1/2 हि0 भूमि के खातेदार अधिकार दिये गये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की ळै।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत मनमाने रूप से विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलीधीन निर्णय में वर्णित भूमि पूर्व में रोही मौजा रणजीतपुरा के ख. नं. 115.03 बीघा भूमि थी जो 1955 से पूर्व की आराजी काश्त की भूमि थी जो उपनिवेशन सर्वे के दौरान ढाल बाछ में उप0 ख0 में कुल 109.14 बीघा में पैमूद हुई व चकबंदी के दौरान उपनिवेशन खसरा से उपरोक्त भूमि चक 9 आरपी की 17.701 है0 व 10 आरपी 'ए' की 8.855 कुल 26.556 है0 में पैमूद हुई। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि 1955 से पूर्व की भूमि थी व आवंटन शर्तें 1971 के तहत उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के पूर्वज धन्ना, जोतराम व सहीराम को आवंटन की गई रेस्पो0 सं0 1 ता 6 व 9 के लाधुराम का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं था सहवन से धन्ना पुत्र रूड़ा की जगह लाधु पुत्र रूडा दर्ज कर दिया था उक्त भूमि हमेशा से अपीलाण्ट के पूर्वज रूडाराम पुत्र मामराज व धन्ना, जोतराम व सही पुत्र रूड़ा के कब्जा काश्त में रही परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा करके लाधु पुत्र मामराज का 1/2 हिस्सा का खातेदार बिना किसी अधिकार के घोषित किया है जो काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि 1955 से पूर्व की आरजी काश्त की भूमि है जो संवत 2002 से लेकर 4.8.88 तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2 ता 5 के पूर्वजों की कब्जा काश्त में चली आ रही है धारा 15 एएए आरटीएटक क तहत 15.10.55 से 4.8.88 तक लगातार कब्जा होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। रेस्पो0 सं0 1 ता 6 व 9 का अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा करके अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया है व पत्रावली में संल्गन दस्तावेज व रिपोर्ट पटवारी हल्का को अनदेखा करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। मूल पत्रालवी में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का गिरदावर व नायब तहसीलदार दिनांक 18.06.1971 में कब्जा काश्त के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें विवादित भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2 के पूर्वजों का कब्जा होना साबित है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जांच रिपोर्ट व गिरदावरियों की जांच नहीं की व बिना कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये हैं जो कबिल खारिजी है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4. प्रार्थीगण के विरूद्ध रेस्पो0 सं0 1 ने न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ में वाद प्रस्तुत किया हुआ है जिसक संबंध में प्रार्थीगण को नोटिस प्राप्त हुआ प्रार्थीगण ने अपना अधिवक्ता दिनांक 26.03.014 को नियुक्त कर उक्त वाद की प्रतिलिपि प्रापत की जिससे प्रार्थीगण को रेस्पो0 सं0 1 व 6 ता 9 के द्वारा खातेदारी आदेश प्राप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई। प्रार्थीगण ने अपना जवाबदावा व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त खातेदारी आदेश क बारे में अपने अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त की तो अधिवक्ता ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपी प्रस्तुत करने की राय दी प्रार्थीगण ने खातेदारी जारी करने की पत्रावली की तलाश की व बिना किसी देरी के नकल प्रार्थना–पत्र जिला अभिलेखागार में प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाण्ति प्रतिलिपि प्राप्त कर बिना किसी देरी क इल्म से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी है इसलिए डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2015 II पेज 532 एस.सी., आरएलडब्ल्यू 1994 I पेज 36 (रा. हाई कोर्ट), आरएलडब्ल्यू 1997 I पेज 224 (रा. हाई कोर्ट), आरआरडी 2009 पेज 195, आरआरडी 1996 पेज 358, आरआरडी 1995 पेज 700, आरआरडी 1996 पेज 146, आरआरडी 1991 पेज 82 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी महोदय हनुमानगढ के यहां तकसीम खाता हेतु वाद लम्बित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अन्य तथ्य रचित होने के कारण अस्वीकार है। अपीलाण्ट अदालत मातहत में खातेदारी लेने हेतु स्वयं उपस्थित रहा है व समस्त कार्यवाही में हाजिर रहा है अब मात्र तंग परेशान करने हेतु लगभग 30 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है जो कतई अंदर मियाद नहीं है। उपखण्ड अधिकारी के समस्त खाता तकसीम के वाद को रोकने के लिए यह अपील 30 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली रिपोर्ट पटवारी संलग्न है जिसमें हमारा कब्जा काश्त है हमने किश्तें जमा करवाई है इसलिए प्रश्नगत भूमि हमें प्राप्त हुई है। अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरसी 2001 पेज 204, आरआरटी 2007 (1) पेज 18 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अधीनस्थ न्यायालय ने राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एएए का नवीनतम संशोधन दिनांक 04.08.83 अध्यादेश प्रसारित हो जाने पर प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मं प्रस्तु आवेदन को 15 एएए (3) के अन्तर्गत माना जाकर वर्तमान कब्जा काश्त की बाबत तहसील से रिपोर्ट लेकर भू आवंटन नियम 1971 के नियमों के तहत आवंटन पत्रावली शामिल करते हुए रिपोर्ट एवं पत्रावली के अनुसार दिनांक 25.03.88 को लाधु वल्द मामराज का 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं।
9. अपीलाण्ट का कथन है कि वर्णित भूमि 1955 से पूर्व की भूमि थी व आवंटन शर्तें 1971 के तहत उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के पूर्वज धन्ना, जोतराम व सहीराम को आवंटन की गई रेस्पो0 सं0 1 ता 6 व 9 के लाधुराम का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं था सहवन से धन्ना पुत्र रूड़ा की जगह लाधु पुत्र रूडा दर्ज कर दिया था उक्त भूमि हमेशा से अपीलाण्ट के पूर्वज रूडाराम पुत्र मामराज व धन्ना, जोतराम व सही पुत्र रूड़ा के कब्जा काश्त में रही परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा करके लाधु पुत्र मामराज का 1/2 हिस्सा का खातेदार बिना किसी अधिकार के घोषित किया है। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि 1955 से पूर्व की आरजी काश्त की भूमि है जो संवत 2002 से लेकर 4.8.88 तक लगातार अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2 ता 5 के पूर्वजों की कब्जा काश्त में चली आ रही है धारा 15 एएए आरटीएक्ट के तहत 15.10.55 से 4.8.88 तक लगातार कब्जा होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। रेस्पो0 सं0 1 ता 6 व 9 का अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। संलग्न

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रिपोर्ट पटवारी हल्का गिरदावर व नायब तहसीलदार दिनांक 18.06.1971 में विवादित भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2 के पूर्वजों का कब्जा होना साबित है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जांच रिपोर्ट व गिरदावरियों की जांच नहीं की व बिना कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये हैं जो कबिल खारिजी है। अपीलाण्ट के उक्त तथ्य स्वीकार योग्य नही है। अपीलाण्ट का यह भी कथन रहा है कि अपीलाण्ट के विरूद्ध रेस्पो0 सं0 1 ने न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ में वाद प्रस्तुत किया हुआ है जिसक संबंध में प्रार्थीगण को नोटिस प्राप्त हुआ प्रार्थीगण ने अपना अधिवक्ता दिनांक 26.03.014 को नियुक्त कर उक्त वाद की प्रतिलिपि प्राप्त की जिससे प्रार्थीगण को रेस्पो0 सं0 1 व 6 ता 9 के द्वारा खातेदारी आदेश प्राप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई। **अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट सोहन लाल वल्द जोतराम का स्वयं का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है जो अपीलाण्ट द्वारा आवंटन हेतु दिनांक 13.04.1971 को प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रकट होता है कि आवंटन की कार्यवाही में अपीलाण्ट द्वारा स्वयं उपस्थित रहकर चाराजोई की गई है। इससे प्रकट है कि अपीलाण्ट का अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान था। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03. 1988 को पारित किया गया है जबकि अपीलाण्ट द्वारा अपील 10.04.14 को पारित किये गये हैं। इस तरह अपीलाण्ट द्वारा यह अपील लगभग 28 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है। लगभग 28 वर्ष के विलम्ब से स्वयं की उपस्थिति में पारित आदेश की अपील प्रस्तुत करने का कोई विश्वसनीय, संतोषजनक एवं न्यायोचित कारण नही दिया जबकि रिकार्ड से यह साबित है कि भूमि आवंटन की कार्यवाही में वह शामिल रहा है। लगभग 28 वर्ष के विलम्ब को बिना कारण के माफ करना हमारी दृष्टि में पूर्णतया अनुचित है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।** जहां तक मेरिट का प्रश्न है अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03.1988 को तहसील से कब्जा काश्त की रिपोर्ट लेकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। तत्समय अपीलाण्ट ने कोई आपत्ति की हो ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। **अतः मेरिट पर भी इस प्रकरण का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि आवंटन 25.03.88 को किया गया है जिसे लगभग 28 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् निरस्त किया जाना उचित नहीं है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि "यह न्याय का मजाक होगा यदि 25 वर्ष बाद किसी को बेदखल किया जावे।"** अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट दोनों खारिज किये जाते हैं।

10. उपराक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं। सहायक जिलाधीश संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.88 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी,आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील संख्या 2014/00117 (40/2014) 225 आरटीएक्ट

1. सोहनलाल पुत्र जोतराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ।
2. सरबती पुत्री जोतराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. कुंभाराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. रूपराम पुत्र जोतराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. मोहनलाल } पुत्रगण सहीराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तह0 व जिला
4. राजाराम } हनुमानगढ।
5. विमला पत्नी लिछमणराम पुत्री सहीराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ।
6. ईसर } पुत्रगण मंगलराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तह0 व जिला
7. कृष्ण } हनुमानगढ।
8. केसर } पुत्रियां मंगलराम जाति मेघवाल सा0 रणजीतपुरा तहव व जिला
9. सुमन }
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ। —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.88 द्वारा सहायक जिलाधीश संगरिया प्रकरण संख्या 890/86 अन्तर्गत धारा 15 एएए आरटीएक्ट

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1/3, श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 10 और से की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना—पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं। सहायक जिलाधीश संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.88 यथावत रखा जाता है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 28.02.2020 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.04.20 12:05:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: